

# फर्द अहकाम

केलाश

बनाम जयपुर

विकास प्राधिकरण

म न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

जख वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 22/2023

विशेष विवरण

क्रम दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
24/10/24		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब 71 हेतु दिनांक 05/12/24 को पेश हो।
5/12/24		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब 71 हेतु दिनांक 10/12/24 को पेश हो।
10/12/24		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। कार्य करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/12/24 को पेश हो।
23/12/24		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद का अंतिम निर्णय किया जा चुका है ऐसी स्थिति इस प्रार्थना पत्र को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है चूंकि यह प्रार्थना पत्र सारहीन है चूंकि यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद वकील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
बस्सी जिला - जयपुर प्रांतीय